



Neutral Citation No. - 2026:AHC:62976-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या - 295 वर्ष 2026

अल हुमैद एवं अन्य

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

...प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: जिया उद्दीन अहमद

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 44

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री जिया उद्दीन अहमद, राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है:-

"(i) बंदी प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रत्यर्थीगण को याचिकाकर्ता संख्या 1 को उनकी अवैध हिरासत से पेश करने और रिहा करने का निर्देश दिया जाए, जबकि याचिकाकर्ता संख्या 1 की गिरफ्तारी, निरुद्धि और रिमांड को मिहिर राजेश बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य के साथ-साथ उमंग रस्तोगी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन न करने के कारण अवैध, शून्य और अप्रभावी घोषित किया जाए।

(ii) उत्प्रेषण की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसके द्वारा विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 7, कानपुर नगर द्वारा पारित रिमांड आदेश दिनांक 31.12.2025 और उसके बाद के रिमांड आदेशों को रद्द किया जाए।"

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ताओं के गिरफ्तारी मेमो के परिशीलन से ही स्पष्ट होता है कि यह बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका संख्या 35 वर्ष 2026, उमंग रस्तोगी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई. एवं अन्य, एसएलपी (आपराधिक) संख्या 5191 of 2021 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को कथित तौर पर सात साल तक या उससे कम की सजा वाले अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का उत्तर नहीं दिया, बल्कि जमानत अदालत द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों की ओर इशारा किया और तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा जमानत आवेदन दायर किया गया था, जिसे खारिज कर दिया गया है, इसलिए याचिकाकर्ताओं के लिए उपरोक्त याचिका दायर करना उचित नहीं है।

राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा आगे यह दलील दी गई कि गिरफ्तारी मेमो में खंड-13 के तहत आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए बहुत कम जगह है, इसलिए गिरफ्तारी मेमो के खंड-13 में दी जाने वाली सभी विवरण नहीं भरे गए थे।

पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के बाद, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी स्पष्ट रूप से इस न्यायालय के उमंग रस्तोगी एवं अन्य (उपरोक्त) के अधिदेश और सर्वोच्च न्यायालय के सतेंद्र कुमार अंतिल (उपरोक्त) के निर्णय तथा अर्णेश कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 8 एससीसी 273 के निर्णय का उल्लंघन है।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने जमानत के लिए आवेदन किया है और उन्हें कोई राहत नहीं मिली है, इसलिए उनके पास बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने का विकल्प नहीं है, यह स्पष्ट रूप से भ्रामक है। जहां कानून के उल्लंघन में जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता है, वहां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025) एससीसी ऑनलाइन एससी, 2531 के मामले में पारित निर्णय के आलोक में आरोपी की गिरफ्तारी और रिमांड अवैध हो जाती है, अतः बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका विचारणीय हो जाती है।

राज्य के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि गिरफ्तारी मेमो में विवरण देने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, भ्रामक है। गिरफ्तारी मेमो के खंड 13 को इसके फॉर्म में जगह बढ़ाकर या खंड 13 के उप-खंडों में आवश्यक दस्तावेजों और जानकारी को अलग कागजों पर संलग्न करके भरा जा सकता है जिन्हें गिरफ्तारी के आधारों के साथ अनुलग्नक के रूप में जोड़ा जाए।

इसलिए, हमारा यह विचार है कि याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी, निरुद्धि और रिमांड आदेश दिनांक 31.12.2025 तथा संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उसके बाद के रिमांड आदेश पूरी तरह से अवैध हैं और रद्द किए जाने योग्य हैं।

रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

विद्वान शासकीय अधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रत्यर्थीगण को सूचित करें कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति की प्रतीक्षा किए बिना याचिकाकर्ताओं को तत्काल हिरासत से रिहा करें।

हालांकि, प्रत्यर्थीगण के पास कानून के अनुसार याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध पुनः कार्यवाही करने का विकल्प है।

कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह आज ही सामान्य शुल्क के भुगतान पर किसी भी पक्ष को इस आदेश की प्रमाणित प्रति जारी करे।

26 मार्च, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी) (माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"